

प्रेषक,  
सेवा में,

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,  
कैमूर।

सभी प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी-सह-  
कार्यपालक पदाधिकारी (पंचायत समिति),  
कैमूर जिला।

विषय :- e-gramswaraj Application एवं PFMS त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को Onboarding कराने एवं लेखांकन संबंधित आकड़ों को प्रविष्टि कराने के संबंध में।


प्रसंग :- पंचायती राज विभाग बिहार, पटना के पत्रांक 1015 दिनांक 15.02.2021 एवं पत्रांक 1718 दिनांक 15.03.2021 एवं पत्रांक 4719 दिनांक 24.08.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में e-gramswaraj Application एवं PFMS द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को Onboarding करने एवं लेखांकन संबंधित आकड़ों को प्रविष्टि करने का निदेश प्राप्त है। ग्राम पंचायत से भुगतान संबंधी आदेश प्राप्त होने के उपरांत संबंधित लेखापाल-सह-आई0टी0 सहायक द्वारा अभिलेख एवं नियमानुसार कटौतियों की जाँच कर e-gramswaraj पोर्टल पर आंकड़ों की प्रविष्टि संबंधित कार्यपालक सहायक के माध्यम से करायी जायेगी। e-gramswaraj पोर्टल पर वाउचर जेनरेट होने के पश्चात संबंधित पंचायत सचिव, लेखापाल-सह-आई0टी0 सहायक एवं कार्यपालक सहायक द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर किया जायेगा एवं योजना अभिलेख के साथ इसे संधारित किया जायेगा।

अतः निदेश दिया जाता है कि उक्त सभी कार्यों का सम्पादन हेतु अपने स्तर से संबंधित कर्मियों को निदेशित करें कि आपसी सहयोग के आधार पर संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय में ही उपरोक्त कार्यों का ससमय निष्पादन किया जाए। e-gramswaraj पोर्टल के Admin, Maker & Checker स्तर का DSC (Digital Signature Certificate) केवल प्राधिकृत व्यक्तियों के पास व्यक्तिगत तौर पर सुरक्षित रहेगा, इसके अतिरिक्त किसी कर्मी के पास DSC पाया जाता है, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। संचालन प्रक्रिया Admin, Maker & Checker की उपस्थिति में संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय में ही की जाय।

विश्वासभाजन,



जिला पंचायत राज पदाधिकारी,  
कैमूर।

ज्ञापक XI-01-2022-174..../पं०, दिनांक 04-02-22..

प्रतिलिपि :- सभी कार्यपालक सहायक(ग्राम पंचायत/प्रखण्ड स्तरीय), लेखापाल-सह-आई0टी0 सहायक एवं तकनीकी सहायक, कैमूर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी ग्राम पंचायत मुखिया एवं पंचायत सचिव, कैमूर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कैमूर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त, कैमूर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, कैमूर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,